

## हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 9 मार्च, 2012

**संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/एम०जी०एच०/ए०सी०ए०-II/2012/731.**—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :-

## अनुसूची

अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-II महेन्द्रगढ़ की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (एम०जी०) 130/2010, दिनांक 26 नवम्बर, 2010 के साथ पढ़ा जाए।

**उत्तर :** बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गांव जटवास (हदबस्त संख्या 94) की आयत संख्या 2 का उत्तर-पश्चिम कोना है, पूर्व की ओर हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना पी०सी०-94/9015, दिनांक 22 अगस्त, 1994 द्वारा (उसके बाद संशोधित अधिसूचना संख्या एम०सी०ए०-2/2001/61, दिनांक 11 जनवरी, 2001), पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक, जहां यह वर्तमान नगरपालिका समिति की दक्षिणी सीमा से मिलती है। तत्पश्चात् वर्तमान नगरपालिका समिति की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ तथा उसके पश्चात् गांव चमधेड़ा (हदबस्त संख्या 85) की आयत संख्या 6 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक, जो कि गांव चमधेड़ा (हदबस्त संख्या 85) की आयत संख्या 6 का उत्तर-पूर्व कोना है।

**पूर्व :** तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव चमधेड़ा (हदबस्त संख्या 85) की आयत संख्या 6, 13, 16, 22, 25, तथा 28 गांव जासावास (हदबस्त संख्या 81) की आयत संख्या 16, 21 तथा 25 की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जो कि गांव जासावास (हदबस्त संख्या 81) की आयत संख्या 25 की दक्षिण-पूर्व कोना है।

**दक्षिण :** तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर गांव जासावास (हदबस्त संख्या 81) की आयत संख्या 25 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ तथा दोहन नदी की आयत संख्या 58/1 तथा 58 से गुजरते हुए तथा गांव बेरी (हदबस्त संख्या 82) की आयत संख्या 2 तथा 1, गांव भूडीबज नगर (हदबस्त संख्या 94) की आयत संख्या 29, 30, 31, 32 तथा 33 तथा गांव जोनावास (हदबस्त संख्या 95), की आयत संख्या 16, 15, 14, 13, 12, तथा 11 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक, जोकि गांव जोनावास (हदबस्त संख्या 95) की आयत संख्या 11 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

**पश्चिम :** तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर गांव जोनावास (हदबस्त संख्या 95) की आयत संख्या 11, 8 तथा 2 गांव जटवास (हदबस्त संख्या 94) की आयत संख्या 38, 35, 23, 20, 8, 5 तथा 2 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भिक का बिन्दु है।

एस० एस० दिल्ली,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

**Notification**

The 9th March, 2012

**No. CCP(NCR)/MGH/ACA-II/2012/731.**—Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :—

**SCHEDULE**

Schedule of boundaries of additional controlled area-II, Mahendergarh to be read with the Drawing No. D.T.P. (MG)-130/2010, dated the 26th November, 2010.

- North:** Starting from Point 'A' i.e. north-west corner of rectangle number 2 of village Jatwas (Hadbast number 94), thence moving towards east along the already declared controlled area boundary published in Haryana Government Gazette *vide* notification No. PC-94/9015 dated 22nd August, 1994 (Subsequently amended *vide* notification No. MCA-2/2001/61 dated 11th January, 2001) upto point where it meets the southern boundary of existing Municipal Committee limit. Thence along the southern boundary of existing Municipal Committee and subsequent along the northern boundary of rectangle number 6 of village Chamdhera (Hadbast number 85) upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 6 of village Chamdhera (Hadbast number 85).
- East:** Thence moving from point 'B' towards south along the eastern boundaries of rectangle number 6, 13, 16, 22, 25 and 28 of village Chamdhera (Hadbast number 85) and rectangle number 16, 21, and 25 of village Jasawas (Hadbast number 81) upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 25 of village Jasawas (Hadbast number 81).
- South:** Thence moving from point 'C' towards west along the southern boundaries of rectangle number 25 of village Jasawas (Hadbast number 81) and crossing through rectangle number 58/1 and 58 of river Dohan and along the southern boundaries of rectangle no. 2 and 1 of village Beri (Hadbast number 82), rectangle number 29, 30, 31, 32 and 33 of village Bundebaj Nagar (Hadbast number 94) and rectangle number 16, 15, 14, 13, 12, and 11 of village Jonawas (Hadbast number 95) upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 11 of village Jonawas (Hadbast number 95).
- West:** Thence moving from point 'D' towards north along the western boundary of rectangle number 11, 8 and 2 of village Jonawas (Hadbast number 95) and rectangle number 38, 35, 23, 20, 8, 5 and 2 of village Jatwas (Hadbast number 94) upto point 'A' i.e. the point of start.

S. S. DHILLON,  
Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana,  
Town and Country Planning Department.